"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2002—कार्तिक 17, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2636/2255/2002/एक/2.—श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा. प्र.से. (1988), सचिव, महामहिम राज्यपाल को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कलेक्टर, जशपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एम आर. सारथी, भा.प्र.से. (1988), कलेक्टर, जशपुर को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से विशेष सचिव, मंत्रालय में पदस्थ किया जाता है.

3. श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. (1991), कलेक्टर, कोरबा को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संयुक्त सचिव, मंत्रालय में पदस्थ किया जाता है.

4. श्रीमती ईशिता रॉय, भा.प्र.से. (1991), संयुक्त सचिव, मुख्य

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

सचिव एवं कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कलेक्टर, कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री एल. एन. सूर्यवंशी, भा. प्र. से. (1992), कलेक्टर, कांकेर को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री एस. एन. ध्रुव, भा.प्र.से. (1992), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं उर्जा विभाग को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कलेक्टर, कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. (1994), कलेक्टर, बस्तर को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सचिव, महामहिम राज्यपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2648/2223/2002/2/एक/लीव.—श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 28-9-2002 से 1-10-2002 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश दिनांक 2-10-2002 जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव का अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर, राजनांदगांव अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2650/523/2000/2/एक/लीव.—श्री अजयपाल सिंह, तत्कालीन अपर सचिव, लोक निर्माण, आवास नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 1-11-2000 से 8-12-2000 (38 दिन) तक का लघुकृत अवकाश तथा दिनांक 9, 10,11 एवं 12 दिसम्बर, 2000) (चार दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री अजयपाल सिंह को वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिंह यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2453/21-ब/डी./छ.ग./2002/6745.—राज्य शासन, श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को राज्य प्रशासनिक अधिकरण, रायपुर बेन्च में, प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 73/125/HE/02.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "डॉ. सी. व्ही. रमन यूनिवर्सिटी ऑफ साइन्स, टेक्नोलॉजी, कामर्स

एण्ड मैनेजमेन्ट, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

2. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर में होगा.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा "डॉ. सी. व्ही. रमन यूनिवर्सिटी ऑफ साइन्स, टेक्नोलॉजी, कामर्स एण्ड मैनेजमेन्ट, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पात्रोपाधि एवं सम्मान देने की मान्यता या अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1732/डी. 15/74/2002/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा-69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, राज्य की समस्त मंडी क्षेत्रों में विक्रय या क्रय या लाई गई या बेची गई कृषि उपज, लाख पर संपूर्ण मंडी शुल्क के भुगतान से इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट देती है,—

"जब छत्तीसगढ़ में अवस्थित किसी लघु उद्योग इकाई या ग्रामोद्योग इकाई द्वारा क्रय किया जाता है और उद्योग और ग्रामोद्योग विभाग से यथास्थिति, लघु उद्योग इकाई या ग्रामोद्योग इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो संबंधित मण्डी में उसे प्रस्तुत करना होगा."

Raipur, the 18th October 2002

No. 1732/D-15/74/02-03/14-3.—In exercise fo the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, exempt the payment of full market fees for the period of one year from the date of notification on sale or purchase or bought or sold of Lac, agriculture produce in all Mandi areas in the State Subject to the following condiditon,—

"When the purchase is made by any small scale industry or village industry located in Chhattisgarh, a Registration Certificate as small scale industry unit or village industry unit from the Industry or Village Industry Department as the case may be is to be produced in the concern Mandi."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-60/2002.—आबकारी (उत्पाद शुल्क) विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2002, को प्रश्न-पत्र "विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री अनिमेष नेताम	जिला आबकारी अधिकारी
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्री एल. के. गायकवाड़	आबकारी उप-निरीक्षक

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-87/गृह/2002.—उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 25 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री एल. के. गायकवाड़	आबकारी उप-निरीक्षक

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-89/गृह/2002.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा को दिनांक 25 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र ''लेखा'' पुस्तकों सहित विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	निम्न स्तर	
	बस्तर-संभाग	
1.	श्री एस. लकड़ा	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-79/2002.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र ''सामान्य विधि-3'' (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री उमेश कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्री शैलेश कुमार बघेल	वन क्षेत्रपाल
3.	श्री जे. आर. धुर्वे	वन क्षेत्रपाल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-64/2002.—पंचायत एवं समाज सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, को जो दिनांक 22 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र ''समाज कल्याण '' (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बस्तर-संभाग	
1.	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	(बाल विकास) परियोजना अधिकारी.
2.	श्री तिक्वेन्द्र कुमार जाटवर	(बाल विकास) परियोजना अधिकारी.
	बिलासपुर-संभाग	
3.	कुमारी शालिनी दलेला	परियोजना अधिकारी
	निम्न स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्रीमती राजकुमारी मान्ने	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी

(1)	(2)	(3)
	बस्तर-संभाग	
2.	श्रीमती भावना कोडोपी	पर्यवेक्षिका
3.	श्रीमती शेफाली रिम्पल राव	पर्यवेक्षिका
4.	श्रीमती सुमरो ठाकुर	पर्यवेक्षिका
	बिलासपुर-संभाग	
5.	श्रीमती रजनी खेस्स	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
6.	श्रीमती उर्सेला टोप्पो	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
7.	श्रीमती एलिजाबेथ टोप्पो	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
8.	श्रीमती शांता सरोज एक्का	पर्यवेक्षिका
9.	श्रीमती शीला एक्का	पर्यवेक्षिका
10.	कु. सावित्री भगत	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
11.	श्रीमती शांति कुजुर	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
12.	श्रीमती उषा किरण केरकेट्टा	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-67/गृह/2002.—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23-7-2002 को प्रश्न-पत्र "खनिज प्रबंध" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्च स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री दीपक कुमार कोसरे	सहायक भौमिकी विद्

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-72/2002.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "वन विधि प्रश्न, प्रश्न-पत्र-1" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री चन्द्रशेखर स्वरूप	वन क्षेत्रपाल
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्री अनिल कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-80/गृह/2002.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	सश्रेय	
	बस्तर-संभाग	
1.	श्रीमती पुष्पा मरकाम	पर्यवेक्षिका

(1)	(2)	(3)

बिलासपुर-संभाग

2.	श्री आनंद प्रकाश किसपोट्टा	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी.

उच्च स्तर

रायपुर-संभाग

1.	श्री दिलीप कुमार अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
2.	श्रीमती राजकुमारी माग्रे	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी

बस्तर-संभाग

3.	श्रीमती सुमरो ठाकुर	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी

बिलासपुर-संभाग

4.	श्रीमती सुबानी मिंज	परियोजना अधिकारी
5.	कु. पुष्पा किरण कुजुर	परियोजना अधिकारी
6.	श्रीमती प्रभा लकड़ा	परियोजना अधिकारी
7.	श्रीमती एलिजाबेथ टोप्पो	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी

निम्न स्तर

रायपुर-संभाग

1.	श्रीमती कुंती कुशरे	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी

बस्तर-संभाग

2.	श्रीमती ज्योति राठौर	पर्यवेक्षिका
3.	कु. श्याम भास्कर	पर्यवेक्षिका
4.	श्रीमती मंगली दास	पर्यवेक्षिका
5.	श्रीमती पार्वती शर्मा	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी

बिलासपुर-संभाग

6.	कु. गीता श्रीवास्तव	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
7.	श्रीमती शांता सरोज एक्का	सहायक निर्देशिका.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002.

क्रमांक एफ 9-94/गृह/2002.—कृषि विभाग के कृषि सेवा कार्यपालिक प्रथम द्वितीय एवं तृतीय अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 26-7-2002 को प्रश्न-पत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय पुस्तकों सहित (एवं द्वितीय) (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्च स्तर

बस्तर-संभाग

1.	श्री कपील देव दीपक	सहायक संचालक

निम्न स्तर

बिलासपुर-संभाग

2.	श्री सी. आर. कुंवर	कृषि विकास अधिकारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निरंजन दास, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2002

स. क. वि. 3075.—राज्य शासन एतद्द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं (एन. जी. ओ.) के माध्यम से चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं उनके लंबित प्रकरणों की मानीटरिंग शासन स्तर पर किये जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन करता है. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत होंगे :—

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग	सदस्य
3.	सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.	सदस्य
4.	सचिव, श्रम, खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग.	सदस्य
5.	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	सदस्य
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	सदस्य
7.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग.	सदस्य सचिव

यह समिति आवश्यकता अनुसार बैठके आयोजित कर, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने एवं समन्वय करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 10644/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न पूर्वक अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	अमलीपारा प. ह. नं. 19/2	3.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छुईखदान	लमानी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर नाली.

भूमि नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 01/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिनौधा प. ह. नं. 18	4.54	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपवर्तन योजना मुक्ता शाखा नहर बिनौधा एवं सुरसी माइनर.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 02/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन को आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. की राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मुक्ता प. ह. नं. 16	3.72	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपवर्तन योजना मुक्ता शाखा नहर मुक्ता एवं सुरसी माइनर.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 03/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है की राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुरसी	1.92	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपवर्तन योजना मुक्ता शाखा नहर सुरसी माइनर.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 04/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है की राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मिरौनी प. ह. नं. 21	1.55	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड परियोजना मुक्ता शाखा नहर मिरौनी माइनर क्रमांक 2

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 05/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं की. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	...निक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मड़वा प. ह. नं. 20	2.28	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपतर्वन योजना मुक्ता शाखा नहर मिरौनी माइनर क्र. 1

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 06/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इकसे द्वारासभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खोरसिंया प. ह. नं. 19	9.39	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपवर्तन परियोजना मुक्ता शाखा नहर खोरसिंया माइनर.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 07/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है की राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डोमनपुर प. ह. नं. 20	3.11	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपवर्तन परियोजना, मुक्ता शाखा नहर नावापारा (म) माइनर क्रमांक-01.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 08/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	अमलडीहा प. ह. नं. 19	0.15	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपवर्तन योजना मुक्ता शाखा नहर.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 09/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है की राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	नावापारा (म) प. ह. नं. 20	11.14	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपवर्तन परियोजना मुक्ता शाखा नहर नावापारा माइनर क्र. 2

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक क (भू-अर्जन) 10/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है की राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पेंडरूवा प. ह. नं. 19	0.27	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग-क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मांड व्यपवर्तन परियोजना मुक्ता शाखा नहर खोरसिया माइनर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुवा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	सलेयाडीह	14.665	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अ. पुर	डूबान क्षेत्र ग्राम सलेयाडीह.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जून 2002

क्रमांक अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	सलेयाडीह	7.751	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अ. पुर	सलेयाडीह जलाशय का नहर निर्माण ग्राम सलेया डीह.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र. 38/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	जगदीशपुर	0.594	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, अंबिकापुर.	बांकी परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 3 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र. 24/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बड़ा दमाली	18.161	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	बरनई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1769/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूटोला, प. ह. नं,. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	316	0.86
योग	1	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-नाला पुल में पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1771/भू-अर्जन/-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-भर्रीटोला, प. ह. नं,. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	407	0.30
योग	1	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-नाला पुल में पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 सितम्बर 2002

क्रमांक 10688/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उरईडबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
394/1	0.77
394/2	0.72
394/3	0.77
394/4	0.77
396/1	2.50
398	0.48
399	7.26
357	0.50
400	0.32
402	0.67
404	1.56
396/2	0.85
485	0.31
486	1.92
योग	19.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरूहाटोला जलाशय का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू अर्जन अधिकारी डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 612/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.898 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
68	1.083
70/1	0.061
69	0.081
140/2	0.024
210	0.044
235/3	0.112
235/1	0.192
244/1	0.049
241/1	0.138
298	0.065
285	0.004
286	0.045
योग 12	1.898

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरा माइनर घोघरा वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 613/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-खजुरानी, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.254 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
280	0.040
281	0.085
279/1	0.008
279/2	0.020
300	0.077
301/1	0.024
योग 6	0.254

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 614/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बेलकर्री, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.133 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.032
71	0.016
372	0.024
373	0.024
384	0.036
383	0.012
382	0.012
381	0.008
380	0.020
398	0.004
399	0.012
400	0.004
401	0.008
565, 566	0.028
567	0.024
568	0.020
572/1	0.040
572/2	0.036
572/3	0.036
572/4	0.045
572/5	0.052
572/6	0.049
600	0.040
602	0.004
603	0.024
604	0.061
609	0.008
610	0.044
611, 615	0.032
612, 612/2	0.036
613	0.024
614	0.012
712, 713	0.040
714	0.053
715	0.056
723	0.032

(1)	(2)
725	0.020
726	0.016
1452	0.073
1453	0.016
योग 40	1.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलकर्री सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 615/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भुतिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.360 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
551/3	0.101
551/2	0.170
554/7	0.121
554/6	0.049
583	0.077
584	0.053
554/4	0.081
585/2	0.020
586	0.133
589/2	0.053
589/1	0.045
588/2	0.024
591	0.045
2448/14	0.045
2448/8	0.077
2448/7	0.065
2448/6	0.081
2447/3	0.040
2446	0.081
2432	0.174
2430/1 क	0.077
2429/1 क	0.254
2429/1 ख	0.202
2427	0.012
2428	0.024
2423	0.101
2419	0.024
2418	0.016
2417	0.036
2416/2	0.012
2413	0.214
2407/1 ख	0.109
2408	0.105
2398/5	0.057
2398/1	0.008
2397/3, 5	0.177
2396/1	0.267
2509/2	0.057
2512/1	0.073
योग 39	3.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 616/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-जैजैपुर
 (ग) नगर/ग्राम-खमारडीह, प. ह. नं. 11
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.900 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
383	0.040
464	0.049
463/2	0.089
466	0.081
462/1	0.010
467	0.129
465/2	0.020
468	0.020
1056	0.101
470	0.061
471	0.040
526/2	0.081
499	0.040
500	0.028
501	0.040
502	0.028
518	0.040
517	0.069
515/1	0.040
515/2	0.032
514	0.121
513/2	0.049
513/1	0.069
660	0.010
665	0.089
666	0.049
667/3	0.049
667/1	0.069
659/2	0.020
665	0.061
653	0.032
652	0.089
673	0.081
674	0.069
677	0.101
775	0.101
778	0.121
779	0.040
519	0.069
569	0.010
780	0.069
788	0.109
789	0.032
786/2	0.020
867	0.109
866	0.032
868	0.101
869	0.020
465/3	0.010
871	0.061
योग 50	2.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 617/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-झकहाडीह, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80, 81	0.020
82	0.018
83/3	0.049
83/4	0.040
83/5	0.020
83/1, 84/1	0.028
84/2	0.097
85/3	0.012
85/2	0.049
85/1-12	0.133
85/10	0.150
85/6	0.073
72/1	0.028
124	0.020
117/3, 118/2, 122/2, 123/2	0.157
125/14	0.008
125/15	0.012
167/3	0.129
167/2, 170	0.101
170/4	0.162
170/5	0.012
170/6	0.167
83/2	0.004
योग 23	1.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 618/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.335 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4119	0.147
4122/2	0.060
4122/1	0.044
4121/1	0.024
4121/2	0.049
4120/2	0.012
4066/2	0.032
4063	0.032
4067	0.024
4064	0.016
4052	0.044
4051	0.032
4053	0.069
4049	0.020
4042/2	0.004
4042/2	0.012

(1)	(2)
4048	0.004
4043	0.045
4044	0.024
3847	0.016
3848	0.016
3849	0.081
3993/1	0.020
3852	0.028
3856	
3851	0.020
3855	0.020
4029	0.117
4027	0.020
4026	0.053
3861	0.004
4025	0.024
3863	0.028
3873	0.032
3872	0.061
3871	0.008
3875	0.093
योग 36	1.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचानकपुर सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 619/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-तुर्री, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.215 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/2	0.081
18	0.032
20	0.036
21	0.049
22	0.097
23	
33	
35	0.101
36	0.008
37/3	0.045
37/4	0.008
38	0.040
39	0.049
41	0.004
48	0.004
49	0.053
47	0.077
46	0.028
70/1	
70/2	0.057
73/3	0.073
93	0.061
92	0.069
91/2	0.057
106/5	0.024
107	
106/6	0.081
107/4	
106/3	0.024
107/3	
137	0.081
136/2	0.045

(1)	(2)
135	0.069
214/2	0.020
214/4	0.069
212	0.020
211	0.049
267	0.077
266	0.012
258	0.097
410	0.073
411	
412	0.045
413	0.113
414	
415	0.049
402/3	0.024
400	0.008
401	0.049
394	0.032
422	0.065
424	0.057
425	0.008
426/2	0.028
426/1	0.020
430/2	0.065
430/1	0.053
431	0.004
456/1	0.008
457	0.089
458	0.020
453	0.012
480/1	0.085
480/2	0.065
533/2	0.071
536	
537	0.036
527/5	0.032
540/1-3	0.032
548	0.024
546/2	0.012
559	0.024
558	0.146
547/1-2	0.057
555/1-2	0.142
योग 66	3.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 620/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.669 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
113/1	0.012
106	0.090
101	0.060
100	0.049
99/2	0.040
77	0.060
78	0.032
75/2	0.070

(1)	(2)
74	0.016
82	0.024
83/1	0.032
83/2	0.016
88	0.065
84	0.180
85	
529	0.060
528/10	0.012
531/2	0.008
531/3	0.065
531/1	0.020
536	0.050
540/2	0.050
577/7	0.020
541	0.012
579	0.020
578	0.070
580	0.040
598	0.024
594	0.032
597	0.070
593/2	0.012
590	0.085
604/2	0.008
605	0.028
591/3	0.024
610/1	0.060
615/2	0.020
614	0.012
616/2	0.089
606	0.032
योग 39	1.669

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असौदा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 621/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नन्दौर कला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.179 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/2	0.090
25/1	0.194
24/2	0.024
5/22	0.134
6/2	0.045
21	0.162
20/34	0.081
8/3	0.050
9	0.150
13/1	0.129
14	
15	
16	
12	0.154
201	
206	0.085
205	0.055
210	0.165
215/2	0.045
214/3	0.008
217	0.069
220/2	0.170
233	0.110

(1)	(2)
236/2	0.070
215 230/1 231 232	0.243
237	0.045
245	0.121
244	0.089
240	0.024
243/1	0.154
241 242	0.004
260	0.080
261	0.120
262/1 265/1	0.150
308	0.020
302 306	0.008
303	0.030
305	0.101
योग 34	3.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पासीद माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 622/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.583 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56	0.012
57	0.040
54/2	0.061
55	0.053
24/30	0.008
24/49	0.073
24/20	0.170
24/12	0.089
24/13	0.077
योग 9	0.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटीकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 623/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पुरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61/1	0.045

	(1)	(2)
	53/3	0.105
	54/1	0.117
	56	0.332
	76	0.073
योग	5	0.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटीकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 624/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पतेरापाली कला, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.378 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	386	0.020
	385	0.160
	387	0.198
योग	3	0.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा वितरक का खैरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 625/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-घोघरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.247 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
477	0.040
476	0.032
482	0.008
483	0.032
485	0.012
486	0.004
487	0.028
488	0.036
489/1	0.162
489/2	0.004
453	0.016
490/1	0.097
551	0.065
552/1	0.085
552/2	0.194

(1)	(2)
559	0.101
560	0.069
561	0.032
588	0.040
589	0.004
590	0.028
587/1	0.053
587/2	0.016
584	0.089
योग 24	1.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा वितरक का घोघरा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 626/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-घोघरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123	0.032
124/1	0.032
133	0.012
134	0.024
135	0.061
137	0.137
138	0.038
139	0.016
140	0.105
147	0.004
143/2	0.040
142/2	0.020
144	0.028
145	0.053
186	0.128
185	0.004
187	0.008
188	0.004
190	0.012
189	0.012
191	0.014
192	0.016
198	0.028
193	0.012
196	0.004
197	0.008
199	0.012
200	0.194
470	0.089
योग 29	1.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 627/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-घोघरा, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.514 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
477	0.030
478	0.004
479	0.081
480	0.012
511	0.060
510	0.012
509/1	0.032
509/2	0.008
515	0.004
516	0.004
517	0.008
531	0.008
527	0.356
522/1	0.012
522/2	0.016
523	0.140
526	0.077
524	0.053
602	0.049
603	0.016
601	0.004
612	0.008
613	0.267
625/1	0.028
615/2	0.024
615/3	0.016
615/4	0.012
615/6	0.008
615/7	0.004
616	0.049
624	0.016
623	0.024
योग 30	1.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा वितरक नहर मे घोघरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 628/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-पुटीकेला, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.964 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/11	0.061
2313	0.061
2314	0.061
27/4	0.097
27/3	0.073
64/2	0.129
81	0.053
80	0.040
78	0.036
90/2	0.032
93	0.065
90/1	0.008
91	0.053
114	0.065
113	0.053
116	0.045

(1)	(2)
174	0.036
176/2	0.040
171/2	0.045
171/1	0.081
170/1	0.024
170/2	0.024
424	0.020
425/1 ख	0.138
425/1 क	0.053
491	0.049
493/2	0.053
493/1	0.161
494	
496/1	0.032
496/2	0.061
498/1	0.182
498/2	
498/3	
500	
499	0.032
योग 32	1.964

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 629/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61	0.016
60	0.036
58	0.097
49	0.012
45	0.057
46	0.004
43/1	0.016
42/1	0.012
41/3	0.024
39	0.012
36	0.032
35	0.048
34	0.024
33	0.036
150	0.016
योग 15	0.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 630/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.319 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60	0.028
66	0.089
67	0.012
65/1 71/1	0.061
70	0.129
योग 6	0.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 631/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-माल खरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बीरभाटा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.400 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27/1	0.679
27/3	0.485
21	1.300
22	0.425
13	1.215
11	0.140
15/2	0.076
14	0.072
23	0.008
योग 9	4.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 632/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-माल खरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिहरीद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.444 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1026	0.271
1027	0.101
1028	0.072
योग 3	0.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 633/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ढेकुनाभाठा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.078 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/6	0.016
	1/7	0.022
	1/8	0.004
	2/1	0.004
	9	0.454
	10	0.032
	16	0.312
	15	0.153
	13/2	0.081
योग	9	1.078

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 634/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-माल खरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोकरेल, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.669 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
75/3	0.113
75/1	0.388
77	0.012
78	0.105
95/2	
95/3	0.044
96	
109/1	0.081
110	0.316
112/1,2	0.353
113/1, 2	
174	0.004
173/1	0.016
172	0.012
179	0.049
170	0.020
169/3	0.036
169/2	0.076
169/1	0.076
114	0.145
113/1	0.161
175/1-2	0.052

(1)	(2)
155 ⎫ 156 ⎭	0.052
126/1	0.036
154	0.085
158	0.073
153	0.121
159/3	0.008
151	0.133
152	0.129
127/1	0.093
147	0.170
148	0.032
146/480	0.218
130/1	0.251
146	0.316
131	0.141
132	0.405
135	0.319
136/2	0.008
योग 37	4.669

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 635/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.947 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
466/1	0.020
466/2	0.101
466/3	0.101
469	0.385
446	0.210
447	0.029
448	0.020
490	0.024
491	0.064
442	0.038
444/1	0.202
444/2	0.049
512	0.151
513	0.049
528 ⎫ 529 ⎭	0.340
527	0.138
526	0.026
योग 17	1.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 636/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.879 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
50/4	0.004
51/1	0.092
51/3	0.072
52	0.109
53	0.110
54/1	0.012
54/2	0.095
55/2	0.280
55/1	
55/3	
55/4, 5, 6, 7, 8	
790	0.294
789	0.055
786	0.004
781	0.055
796	0.096
805	0.080
804	0.014
803/2	0.034
803/3	0.020
802	0.172
820	0.056
870/1	0.800
864	0.145
665/1	0.080
866/2	
869/2	0.072
869/1	
870	0.040
868/1	0.032
868/2	
873	0.138
875/1	
875/2	
871	0.110
872	0.072
876	0.580
879	
88/1	0.359
618/1	0.190
618/2	
616	0.032
614	0.070
612/1	0.050
615	0.032
600	0.113
699	0.019
598	0.012
597/1	
590/1	0.160
590/2	
594	0.004
595	0.050
596/1	0.045
597/2	
598	0.080
599	
1100/2	0.110
1101	0.038
1098/1	0.034
1098/2	0.062
1102/1	0.105
1102/2	
1103	0.070
1098/4	0.077
1097/1	0.070
1097/2	0.096
1093/2	
1097/3	
1097/4	0.050
1109	0.220
1108	0.008
योग 55	5.879

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 637/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-उचपिंडा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.306 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/4	0.210
42/3	0.166
42/6	0.019
42/7	0.096
42/9	0.069
52	0.081
50/2	0.105
47/2	0.030
49	
74	0.185
81/1 ख	0.350
81/1 घ	
78	0.184
77	0.030
121/2	0.047
121/3	0.016
123	0.301
390/3	0.090
124	0.130
288	0.101
289	0.032
290	0.024
291	0.048
292	0.216
293/2	0.155
295	0.005
294/1	0.029
294/2	0.020
296	0.010
297	0.040
303	0.275
336/1	0.330
336/2	
334	0.385
525	0.153
526	0.150
529	0.104
531	0.120
योग 35	4.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 638/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-निमोही, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.717 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.230
52	0.085
53/3	0.141
53/2	0.101
54/2	0.020
54/1	0.101
[illegible]	
57	0.089
58	
56	0.304
187	
187	0.185
189	0.202
191	0.045
192/1	0.024
192/2	0.049
190	0.032
195	0.049
193	0.166
194	0.040
196	0.125
199/1	0.105
199/2	0.024
198	0.097
200	0.113
202	0.413
197/4	0.073
203	0.073
207/1	0.028
206/2	0.077
207/2	0.004
206/1	0.077
205/1 ग	0.073
206/3	0.073
206/4	0.053
224/1	0.242
219	0.057
224/2	0.263
220	0.036
224/3	0.308
225/3	0.020
231/3	0.040
231/2	0.045
223	0.230
222/1	0.162
223/2	
287/1	0.048
287/2	0.113
287/3	0.101
287/4	0.093
286	0.012
301	0.049
302	0.190
300/1	0.008
303/1	0.158
303/2	0.142
304/1	0.349
309/2	0.008
309/3	0.393
310	0.125
186	0.012
288	0.242
289	
योग 58	6.717

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 639/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सेरो, प. ह. नं. 10/52

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.302 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393/3	0.105
393/4	0.008
393/7	0.113
394	0.076
योग 4	0.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 640/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कानाकोट, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.633 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37	0.379
38	0.077
39	0.093
46	0.599
49	0.190
47	0.162
48	0.078
58	0.202
30	0.678
9	0.101
10	0.008
11	0.190
13/3	0.004
13/4	0.049
12	0.190
28	0.320
66	0.336
67	0.032
68	0.145
69	0.842
312	0.012
313	0.174
314	0.202
315	0.174
317	0.012
316	0.279
308	0.036
306	0.155
328	0.101
329	0.089
327	0.065
335	0.234
331	0.150

(1)	(2)
332	0.008
336/4	0.081
318	0.040
333	0.154
योग 37	6.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 641/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-टाटा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.329 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
78	0.157
79	0.061
77	0.040
100	0.121
93	0.081
99	0.222
106	0.073
98	0.053
97/2	0.174
97/1	0.162
96	0.242
95	0.028
150	0.004
151	
152	0.012
154	0.008
155	0.008
156	0.008
148	0.004
162	0.117
165	0.024
163	0.016
161	0.012
160	0.012
159	0.016
158	0.020
157	0.024
164	0.024
166	0.024
167	0.020
168/1	0.016
168/2	0.004
169	0.020
170	0.032
173	0.149
174	0.226
171	0.024
172	0.101
योग 37	2.329

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 642/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.799 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
863/2	0.175
870	0.348
864	0.016
865	0.140
866	
871	0.370
873	0.278
876	0.320
877	
878	
879	0.375
889/3	0.150
886	0.084
884	0.240
889/2	0.400
904	0.348
908	0.295
906	0.018
905	0.280
921/2	0.330
921/3	0.080
929/6	0.090
925	0.550
956	1.101
976/3	0.940
1044	0.096
1045	0.072
1046	0.085
1047	0.117
1048	0.049
1049	0.085
1050/1	0.200
1050/2	0.050
1089/2, 3	0.121
1089/1	0.040
1090	0.008
1296	0.004
1052	0.240
1224/3	0.336
1214	0.020
1217	0.364
1212	0.161
1211	0.101
1202	0.090
1220/9, 10	0.446
1200	0.310
1219/3	0.364
1220/5	0.160
1220/4	0.101
1222	0.300
1235	2.000
1221	0.101
1236	0.850
योग 50	13.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 643/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदीप, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.508 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232	0.090
233	0.032
234/1	0.102
234/2	0.210
252/1, 2	0.015
258	0.175
254	0.020
255	0.045
256	0.040
257	0.008
265	0.060
263	0.119
264	0.072
262/1, 6	0.132
284/2	0.101
287, 288/2	0.370
288/1	0.210
292/2	0.060
292/3	0.104
291/1	0.101
291/3	0.280
291/2	0.120
289/2	0.072
289/4	0.060
297/2	0.020
290/3	0.120
290/4	0.102
290/5	0.220
290/6	0.010
290/7	0.260
331/1	0.178
योग 31	3.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 644/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.827 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.145
244/8	0.024
244/7	0.069
244/16, 244/17	0.180

(1)	(2)
244/6	0.122
203	3.610
244/1	0.081
243	0.012
241	0.024
295	1.318
322/1	
290	0.030
289	0.024
287	0.030
286	0.017
319	0.210
337	0.270
339/1	0.348
340/1	0.050
340/3	0.335
340/2	0.020
338/1	0.040
352/6	0.095
343	0.101
347/1	
347/3	0.004
348	0.340
349/1	0.168
378	0.160
योग 27	7.827

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 645/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े सीपत, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.920 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
338	0.319
351	0.265
356	1.036
261	0.067
259	0.115
260	
269	
205	0.020
204	0.008
203	0.012
195	0.032
194	0.024
193/5	0.008
193/6	0.020
193/7	0.020
188/2	0.016
187/1	0.008
187/2	0.008
187/3	0.008
184	0.074
181	0.189.
182	
183	
435/3	0.039
456	0.090
457	0.052
458	0.012
453	0.004
446/1	0.150
446/2	0.004
444/1	0.018
444/2	0.008

	(1)	(2)
	1101	0.076
	1097	0.170
	1096	0.048
योग	31	2.920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.